

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 498/2012/बूंदी

मैसर्स बूंगे इण्डिया लिमिटेड, रामगंज बालाजी, बूंदी।

.....अपीलार्थी

बनाम्

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम कोटा।
2. उपायुक्त (अपील्स), अजमेर कैम्प कोटा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा, उप राज.अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.12.2011 जो अपील संख्या 08/वेट/2010-11/बूंदी के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त- प्रथम कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी") कहा जायेगा, द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित निर्धारण आदेश को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने आलोच्य अवधि में सोया रिफाईन्ड आयल के विक्रय पर 91,74,659/- का डेफरमेंट क्लेम किया है। जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी ने आलोच्य अवधि में 6,526.56 मैट्रिक टन सोयाबीन आयल की बिक्री पर डेफरमेंट का लाभ लिया है। इस अवधि में सोया रिफाईन्ड आयल के कच्चे माल से उत्पादन की दर 18.11 प्रति है, जिसके लिये सोयाबीन सीड 36,038.43 मैट्रिक टन उपयोग ली गई। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन सीड की ओसत कीमत रू0 17,840/- प्रति मैट्रिक टन के आधार पर प्रयुक्त सोयाबीन सीड की कीमत 64,29,25,591/- आती है जिस पर व्यवहारी ने 4 प्रतिशत से चुकाये गये वेट की आईटीसी 2,57,17,024/- का क्लेम कर लिया है। इस प्रकार सोयाबीन सीड की खरीद में उत्पादन की दर 18.11 प्रति के आनुपातिक आधार पर 46,57,353/- की आईटीसी का क्लेम पूर्व में ही ले लिया है। इसप्रकार करदायी कम्पनी डेफरमेंट की राशि की गणना में कुल डेफर्ड टैक्स से 46,57,353/- की आईटीसी को कम करते हुए केवल 45,17,306/- का ही टैक्स डेफर किया और 46,57,353/- का अस्वीकार कर दिया।

अपीलार्थी ने मैसर्स भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी बस्सी से बिल नं0 211 दि. 17.8.2007 एवं बिल नं0 225 दिनांक 24.08.2007 से 4,14,472/- की तिलहन खरीद की जिसमें 16,579/- का वेट विक्रेता द्वारा वसूल करना बताया गया। लेकिन जांच पर उक्त दोनों बिल बोगस पाये गये एवं 16,579/- की आईटीसी अस्वीकार की गई। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2011 द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार की। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आईटीसी एडवान्स टैक्स के बराबर है और उसे कर देयता पर स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कर की गणना करयोग्य आवर्त पर की जानी है, इसलिये आईटीसी को करदेयता में से कम नहीं किया जा सकता। आईटीसी का समायोजन केवल बकाया कर देयता से ही किया जा सकता है, ताकि शुद्ध जमा करवाने योग्य कर का पता लगाया जा सके। आईटीसी वह कर है, जो व्यवहारी द्वारा पूर्व में चुकाया गया है, जो एडवान्स टैक्स में से समायोजन योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 83 एसटीसी पेज 234 प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मैसर्स भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा की गई तिलहन की खरीद पर वेट अदा किया गया था एवं व्यवहारी के पास बिल, बिल्टी आदि मौजूद है, व्यवहारी द्वारा समस्त खरीद विवरण अपने लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

अपने तर्कों के कथन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 13 टैक्स अपडेट 134, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सोनेक्स ऑटो इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० बनाम सरकार (2014) 74 वीएसटी 518 उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण के पूर्व उनको समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार राजकोष में जमा करवाई जाने वाली राशि ही Tax Payable है, जबकि व्यवहारी ने Tax leviable के आधार पर 91,74,689/- के डेफरमेन्ट की गणना की है, जो अनुचित है। उन्होंने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कर निर्धारण आदेश तथा अपीलीय आदेश विधिसम्मत पारित होने के कारण अपील अपास्त योग्य है।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. अधिनियम की धारा 20 के अनुसार राज्य कोष में जमा करवायी जाने वाली राशि ही Tax Payable है, जबकि अपीलांत ने Tax Leviable के आधार पर 91,74,659/- के डेफरमेन्ट की गणना की है जो उचित नहीं है। धारा 20(1) के अनुसार TAX Leviable - I T C ही Tax Payable है, इस बिन्दु पर अधिनियम की धारा 17(1) पर विचार किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 17(1) में Tax Payable by a dealer को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section

(2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under :-

T=(O+R+P)-I

where

T is net tax payable

O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4;

I is the amount of input tax;

लगातार.....3

व्यवहारी द्वारा डेफरमेंट क्लेम की राशि 98,51,850/- में से रुपये 52,58,124/- का क्लेम निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया एवं शेष रुपये 45,93,726/- की राशि डेफरमेंट के रूप में स्वीकार की गई, जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई है, जो न्यायोचित प्रतीत होती है।

व्यवहारी ने मैसर्स भोले नाथ ट्रेडिंग कम्पनी बस्सी टिन नं. 08391104392 से बिल सं 211 दिनांक 17.08.2007 एवं बिल नं. 225 दिनांक 24.08.2007 के द्वारा कुल 4,14,472/- की तिलहन क्रय की है। प्रस्तुत बिलों में विक्रेता फर्म द्वारा 16,579/- का वेट वसूल करना अंकित किया है, जिसका व्यवहारी ने आई टी सी क्लेम किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से उक्त बिल की पुष्टि करने पर पाया कि विक्रेता द्वारा वर्ष 2007-08 में कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः उक्त बिलों का वांछित सत्यापन संभव नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर उक्त बिलों को बोगस मानते हुए आई टी सी अस्वीकार किया है एवं इस सम्बन्ध में व्यवहारी को आवश्यक सूचना दी जारी की गई। इस संबंध में उन्होंने अधिनियम की धारा 18 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उसका उल्लेख निम्नानुसार किया :-

"18- Input Tax credit - (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

(a) (b) (c) (d)
(e) (f) (g)

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate, If the original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases . . .

अतः व्यवहारी द्वारा आई टी सी क्लेम को अस्वीकार किये जाने की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित की गई है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

समान तथ्यों पर आधारित प्रकरण मैसर्स श्री सीमेन्ट लि० बनाम सहायक आयुक्त में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1593/2014/अजमेर निर्णय दिनांक 02.06.2016 के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.12.2011 की पुष्टि करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(नित्युराम)
सदस्य

20.6.2017
(मदन लाल)
सदस्य